



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 6, 2008/ज्येष्ठ 16, 1930

No. 320]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 6, 2008/JYAISTHA 16, 1930

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2008

सा.का.नि. 435(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 1961 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है भारतीय आर्थिक सेवा की भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2008 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषा.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—(क) "बोर्ड" से नियम 4 में निर्दिष्ट भारतीय आर्थिक सेवा बोर्ड अभिप्रेत है;
  - (ख) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;
  - (ग) "समिति" से अनुसूची 5 में यथा उपदर्शित किसी श्रेणी में प्रोन्नति या पुष्टि पर विचार करने के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति अभिप्रेत है;
  - (घ) "नियंत्रक प्राधिकारी" से नियम 4 में यथा निर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग अभिप्रेत है;
  - (ङ) "इयूटी पद" से वे पद अभिप्रेत हैं जो अनुसूची 1 में सम्मिलित हैं;
  - (च) "परीक्षा" से आयोग द्वारा अनुसूची 3 में यथा उपदर्शित भारतीय आर्थिक सेवा की भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा अभिप्रेत है जिसमें लिखित परीक्षा और कोई साक्षात्कार परीक्षा सम्मिलित है;
  - (छ) "श्रेणी" से अनुसूची 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट श्रेणी अभिप्रेत है;
  - (ज) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
  - (झ) "सेवा" से नियम 3 के अधीन गठित भारतीय आर्थिक सेवा अभिप्रेत है;
  - (ञ) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति" का वही अर्थ है जो क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में है;
  - (ट) "अन्य पिछड़ा वर्ग" के अंतर्गत समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित जातियाँ और समुदाय सम्मिलित हैं;
  - (ठ) किसी श्रेणी के संबंध में "नियमित सेवा" से उस श्रेणी में चयन के पश्चात् उस श्रेणी में की गई सेवा की अवधि अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत ऐसी कोई अवधि सम्मिलित है जो—
    - (i) उन मामलों में जो इन नियमों की अधिसूचना के संबंध में सेवा में हैं ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए गणना में ली गई है;

- (ii) जिसके दौरान कोई अधिकारी उस श्रेणी में कोई पद धारण कर रहा होता है किन्तु छुट्टी पर होने या अन्यथा ऐसे पदों को धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं है।
3. सेवा का गठन - (1) भारतीय आर्थिक सेवा से ज्ञात एक सेवा का गठन किया जाएगा जो नियम 6 और नियम 7 के अधीन सेवा में नियुक्त व्यक्तियों से मिलकर बनेगी।
- (2) सेवा में सम्मिलित सभी पदों को समूह 'क' पद के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- (3) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को सेवा में ऐसे अधिकारी होंगे जो अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न श्रेणियों में भारतीय आर्थिक सेवा में नियमित आधार पर पहले ही नियुक्त किए गए हैं।
- (4) इन नियमों के प्रकाशित होने से पहले संबंधित तत्स्थानी श्रेणियों में उपनियम (3) में निर्दिष्ट अधिकारी की नियमित आधार पर की गई सेवा ज्येष्ठता, पुष्टिकरण, प्रोन्नति और पेंशन के प्रयोजन के लिए अर्हित सेवा के रूप में संगणित की जाती रहेगी।
4. नियंत्रक प्राधिकारी- (1) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग सेवा का नियंत्रक प्राधिकारी होगा जो भारतीय आर्थिक सेवा बोर्ड से ज्ञात बोर्ड की सलाह पर कार्य करेगा।
- (2) नियंत्रक प्राधिकारी इन नियमों के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में बोर्ड के गठन को अधिसूचित करेगा।
5. श्रेणियां, प्राधिकृत संख्या और उसका पुनर्विलोकन- (1) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को सेवा की विभिन्न श्रेणियों की प्राधिकृत स्थायी संख्या, प्रत्येक श्रेणी में पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट हैं।
- (2) विभिन्न मंत्रालयों या विभागों में पदों का वितरण और प्रत्येक पद का नाम वह होगा जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट है।
- (3) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख के पश्चात्, सेवा की विभिन्न श्रेणियों की प्राधिकृत स्थायी संख्या वह होगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाए, जिसे अनुसूची 1 और अनुसूची 2 का संशोधन करके भर्ती नियमों में सम्यक रूप से समाविष्ट किया जाएगा।
- (4) नियंत्रक प्राधिकारी व्यय विभाग के पूर्व अनुमोदन से संबंधित श्रेणियों की संख्या में ऐसे अस्थायी परिवर्तन या समायोजन कर सकेगा जो वह समय-समय पर किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए जो सरकार द्वारा जारी किए जाएं, आवश्यक समझे।
- (5) नियंत्रक प्राधिकारी व्यय विभाग के पूर्व अनुमोदन से विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के बीच भाग लेने वाले मंत्रालय या विभाग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पदों के वितरण में समायोजन कर सकेगा।
- (6) नियंत्रक प्राधिकारी व्यय विभाग के पूर्व अनुमोदन से सेवा में ऐसे पदों (उनसे भिन्न जो अनुसूची 1 में सम्मिलित हैं) जो सेवा में सम्मिलित किए गए पदों की प्रास्थिति, श्रेणियों, वेतनमान और वृत्तिक संदर्भ के समतुल्य समझे जाएं सम्मिलित कर सकेगा या उक्त अनुसूची में सम्मिलित पदों में से किन्हीं को सेवा से वर्जित कर सकेगा।
- (7) नियंत्रक प्राधिकारी केन्द्रीकृत रीति में पदों का प्रबंध करेगा, भाग लेने वाले मंत्रालय या विभाग पर नियंत्रक प्राधिकारी के आदेशों को आबद्धकर बनाएगा।
6. सेवा का भविष्य में अनुरक्षण - किसी श्रेणी में पद निम्नलिखित रीति द्वारा शासित होंगे और भरे जाएंगे,—

- (क) सहायक निदेशक (कनिष्ठ समय वेतनमान) की श्रेणी में साठ प्रतिशत पद अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट श्रेणी में आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के परिणामों के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे।
- (ख) उस श्रेणी में (अर्थात् सहायक निदेशक) के शेष चालीस प्रतिशत पदों को आर्थिक अधिकारियों या इस प्रयोजन के लिए नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त समतुल्य पदों को धारण करने वाले अधिकारियों (6500-10500 रूपए के वेतनमान) द्वारा अनुसूची 4 के उपबंधों के अनुसार चयन के आधार पर भरा जाएगा।
- (ग) ऊपर (क) और (ख) के आधार पर सीधी भर्ती और प्रोन्नति के बीच कनिष्ठ समय वेतनमान स्तर पदों की कुल संख्या को संविभाजित करने के पश्चात् वार्षिक आधार पर कनिष्ठ समय वेतनमान स्तर पर विहित अनुपात में भर्ती या प्रोन्नति संबंधित शाखाओं में कमी के प्रतिनिर्देश से की जाएगी।
- (घ) उपनिदेशक (ज्येष्ठ समय वेतनमान) के पदों पर सेवा में और उससे ऊपर की सेवा में नियुक्तियां अगली निम्नतर श्रेणी में ऐसे अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा की जाएंगी जिनके पास अनुसूची 4 के स्तंभ (5) में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा है।
- (ङ) अधिकारियों की प्रोन्नति अनुसूची 5 के अनुसरण में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर 'चयन' द्वारा की जाएगी।
7. सेवा में नियुक्ति - (1) इन नियमों की अधिसूचना के पश्चात् सेवा में सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाएंगी।
- (2) नियम 6 के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन सेवा में भर्ती किए गए व्यक्तियों की आरंभिक नियुक्ति सेवा के कनिष्ठ समय वेतनमान में की जाएगी।
- (3) नियम 6 के खंड (क) के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्ति को सीधी भर्ती की नियुक्ति की तारीख वह तारीख होगी जिसको उसकी कनिष्ठ समय वेतनमान में नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी।
- (4) नियम 6 के खंड (ख) के अधीन नियुक्ति किए गए प्रोन्नत अधिकारी की नियुक्ति की तारीख वह होगी जिसको वह कनिष्ठ समय वेतनमान में प्रोन्नति के लिए आयोग द्वारा सिफारिश की गई चयन सूची में सम्मिलित किया गया था या की गई थी या जिस तारीख को वह कनिष्ठ समय वेतनमान में नियुक्त किया गया था या नियुक्त की गई थी, इनमें से जो भी बाद में हो।
- (5) किसी अन्य श्रेणी (अर्थात् ज्येष्ठ समय वेतनमान और उससे ऊपर) में प्रोन्नत किए गए अधिकारियों की नियुक्ति की तारीख वह तारीख होगी जिसको वह उस श्रेणी में प्रोन्नति के लिए समिति द्वारा सिफारिश की गई चयन सूची में सम्मिलित किया गया था या की गई थी या वह तारीख जिसको वह उस श्रेणी में नियुक्त किया गया था या नियुक्त की गई थी, इनमें से जो भी बाद में हो।
- (6) सेवा में नियुक्ति समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विशिष्ट वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग के लिए सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के संबंध में जारी किए गए आदेशों के अधीन रहते हुए होगी।
8. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति - सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की दशा में सरकार सेवा के कांडर में उद्भूत पद, पर, समुचित श्रेणी में अधिकारियों के पद केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों से समुचित श्रेणी में अधिकारियों या आयोग के परामर्श से राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या कानूनी, अर्द्धसरकारी, लोक उपक्रम या स्वशासी निकायों से प्रतिनियुक्ति / संविदा पर नियुक्ति कर सकेगी, और प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
9. परिवीक्षा - (1) नियम 6 के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त अभ्यर्थी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे।

- (2) प्रशिक्षण के अधीन ऐसे व्यक्ति जो परीक्षा पर हैं ऐसे व्याख्यान में उपस्थित होंगे और विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में ऐसी परीक्षा/परीक्षण देंगे तथा अभ्यास करेंगे जो समय-समय पर नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किए जाएं ।
- (3) प्रशिक्षण की अवधि की समाप्ति पर नियंत्रक प्राधिकारी परीक्षाधीन व्यक्ति द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों और विभागीय परीक्षाओं (हिंदी में परीक्षा सहित) आदि में अभिप्राप्त अंकों को ध्यान में रखते हुए अभिलेखों का मूल्यांकन करेगा ।
- (4) सरकार उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट परीक्षा की अवधि को बढ़ा सकेगी यदि यथास्थिति उक्त परीक्षा की अवधि या उसके विस्तारण की अवधि के अवसान पर यह राय है कि परीक्षाधीन व्यक्ति स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है या ऐसी परीक्षा अवधि या उसके विस्तारण की अवधि के दौरान ऐसे किसी समय उसका यह समाधान हो जाता है कि अभ्यर्थी ऐसी परीक्षा या विस्तारण की अवधि के अवसान पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होगा तो सरकार ऐसे परीक्षाधीन व्यक्ति को सेवामुक्त कर सकेगी या उसके अधिष्ठायी पद पर अदनत कर सकेगी या ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जो वह ठीक समझे ।
- (5) परीक्षा की अवधि पूरा करने पर यदि अभ्यर्थी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं तो उनकी नियुक्ति की पुष्टि की जाएगी ।
- (6) नियंत्रक प्राधिकारी ऐसे सभी परीक्षाधीन व्यक्तियों की सूची तैयार करेगा जो सेवा में आयोग के माध्यम से भर्ती किए गए हैं और ऐसी सूची गुणागुण के क्रम में व्यवस्थित की जाएगी जो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के समय अभिप्राप्त अंकों के अनुसार अवधारित की जाएगी ।
- (7) उपनियम (6) प्रोन्नति द्वारा कनिष्ठ सम्यक वेतनमान में नियुक्ति किए गए प्राधिकारियों के लिए लागू नहीं होगा ।
- (8) जहां तक परीक्षा से संबंधित अन्य विषयों का संबंध है अभ्यर्थी इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों द्वारा शासित होंगे ।
10. ज्येष्ठता - (1) किसी श्रेणी में नियुक्त सेवा के अधिकारी की ज्येष्ठता इन नियमों के प्रारंभ के तारीख के तुरंत पूर्व अभिप्राप्त सापेक्ष ज्येष्ठता के द्वारा शासित की जाएगी :
- परंतु यदि सेवा के किसी अधिकारी की ज्येष्ठता इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व अवधारित नहीं की गई है तो उसे भारतीय आर्थिक सेवा 1961 जो इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व सेवा के अधिकारी को लागू है के अनुसार अवधारित की जाएगी ।
- (2) सहायक निदेशक और समतुल्य (कनिष्ठ सम्यक वेतनमान) की श्रेणी में नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता निम्नानुसार अवधारित की जाएगी, अर्थात् :-
- (i) आर्थिक अधिकारी और समतुल्य श्रेणी से प्रोन्नत अधिकारियों के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता उनके ऐसे प्रोन्नति के लिए चयन के क्रम में अवधारित की जाएगी और पूर्वतर चयन के आधार पर प्रोन्नत अधिकारी उनसे ज्येष्ठ रैंक में रखा जाएगा जो पश्चात्तवर्ती चयन के आधार पर प्रोन्नत किए गए हैं ।
- (ii) सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता नियम 9 के उपनियम (6) के अनुसार परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के प्रतिनिर्देश से अवधारित की जाएगी और किसी पूर्वतर चयन के आधार पर नियुक्त कोई व्यक्ति किसी पश्चात्तवर्ती चयन के आधार पर नियुक्त किए गए सभी अन्य व्यक्तियों से ज्येष्ठ रैंक में रखा जाएगा ।

- (iii) किसी विशिष्ट वर्ष में परीक्षा के माध्यम से नियुक्त सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों और उस वर्ष समनुदेशित प्रोन्नत अधिकारियों के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों और प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों के बीच रिक्तियों के चक्रानुक्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी जो भर्ती नियमों में सीधी भर्ती और प्रोन्नति के लिए विहित कोटा के आधार पर होगी।
- (3) सेवा की अन्य श्रेणियों (ज्येष्ठ समय वेतनमान और ऊपर) में नियुक्त किए गए अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता ऐसी श्रेणियों में प्रोन्नति के लिए संबंधित चयन सूचियों में उनकी स्थिति के क्रम में अवधारित की जाएगी और जो पूर्वतर चयन के आधार पर प्रोन्नत किए गए हैं वे पश्चात्पूर्ति चयन के आधार पर प्रोन्नत व्यक्तियों से ज्येष्ठ रैंक में रखे जाएंगे।
- (4) जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
11. सेवा की शर्तें — (1) सेवा में नियुक्त अधिकारी भारत में किसी स्थान पर सेवा करने के लिए दायी होंगे जिसके अंतर्गत भारत में या भारत से बाहर क्षेत्र भी है।
- (2) ऐसे विषयों के संबंध में जिनके लिए इन नियमों में उपबंध नहीं किया है सेवा के अधिकारी की सेवा की शर्तें वही होंगी जो समय-समय पर साधारणतया केन्द्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए लागू हैं।
12. निरर्हता : वह व्यक्ति—
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
- परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
13. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्गों के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
14. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

15. निर्वाचन- यदि इन नियमों के निर्वाचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो इसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जो इसका विनिश्चय करेगी।
16. अवशिष्ट विषय -- उन विषय के संबंध में जो इन नियमों या विनियमों या तद्धीन किए गए या जारी किए आदेशों या विशेष आदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से नहीं आते हैं सेवा के ऐसे सदस्य साधारणतया केन्द्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों को लागू नियमों, विनियमों और आदेशों से शासित होंगे।

[फा. सं. 11011/1/2003-आईईएस]

राजन कुमार, निदेशक

अनुसूची - 1  
(नियम 5 का उपनियम (1) देखें)

## सेवा में विभिन्न श्रेणियों की प्राधिकृत संख्या

क्र.सं.	श्रेणी	पदनाम	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ड्यूटी पद		
(1)	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी + (रु० 26,000-नियत)	प्रधान सलाहकार या समतुल्य	2
(2)	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी (22,400-525-24,500 रु०)	ज्येष्ठ आर्थिक सलाहकार या समतुल्य	10
(3)	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (18,400-500-22,400 रु०)	आर्थिक सलाहकार या समतुल्य	50
(4)	अकृतिक चयन श्रेणी (रु० 14,300-400-18,300)	अपर आर्थिक सलाहकार या निदेशक या समतुल्य	ज्येष्ठ ड्यूटी पदों का 30 % (अर्थात् ज्येष्ठ समय वेतनमान और ऊपर के पद)
(5)	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (रु० 12,000-375-16,500)	उप आर्थिक सलाहकार या संयुक्त निदेशक या समतुल्य	161
(6)	ज्येष्ठ समय वेतनमान (रु० 10,000-325-15,200)	सहायक आर्थिक सलाहकार या उप निदेशक या समतुल्य	136
(7)	कनिष्ठ समय वेतनमान (रु० 8,000-275-13,500)	अनुसंधान अधिकारी या सहायक निदेशक या समतुल्य	102
		कुल ड्यूटी पद	461*
II	आरक्षित		
(1)	छुट्टी आरक्षित		40
		कुल प्राधिकृत संख्या	501*

\*पुनरीक्षित संख्या 4 अगस्त, 2005 से प्रभावी हैं (अर्थात् सेवा के कांडर पुनरीक्षण के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित तारीख)

अनुसूची -2  
(नियम 5 का उपनियम (1) देखें)

सेवा में विभिन्न श्रेणियों की प्राधिकृत संख्या

क्र.सं.	मंत्रालय और विभाग	पदों की संख्या उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी + प्रधान सलाहकार या समतुल्य (रु० 26,000-नियत)	पदों की संख्या उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी दरिष्ठ आर्थिक सलाहकार या समतुल्य (22,400-525-24,500 रु०)	पदों की संख्या उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी आर्थिक सलाहकार या समतुल्य (18,400-500-22,400 रु०)	अकृतिक चयन श्रेणी पदों की संख्या कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी अपर आर्थिक सलाहकार, निदेशक या उप आर्थिक सलाहकार, संयुक्त निदेशक या समतुल्य) रु० 14,300-400-18,300/रु० 12,000-325-16,500	पदों की संख्या ज्येष्ठ समय वेतनमान सहायक आर्थिक सलाहकार या उप निदेशक या समतुल्य (रु० 10,000-325-15,200)	पदों की संख्या कनिष्ठ समय वेतनमान अनुसंधान अधिकारी या सहायक निदेशक या समतुल्य (रु० 8,000-275-13,500)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	शिक्षा मंत्रालय						
(क)	आर्थिक कार्य विभाग		1	3	16	12	4
(ख)	व्यय विभाग				2		
(ग)	संरक्षण विभाग		1				
2.	कॉमर्सियल मंत्रालय						
(क)	मंत्रालय (मुख्य)			1	2	2	2
(ख)	एकधिकार तथा अयरोधक व्यापारिक व्यापार आयोग				1		
3.	कृषि मंत्रालय						
(क)	कृषि और शाहकारिता विभाग	1		1	2	2	1
(ख)	अर्थशास्त्र और शांतिश्रमिकी निदेशालय		1	4	11	9	9
(ग)	कृषि मूल्य और बाजार आयोग			1	4	4	4
(घ)	पशुपालन और डेरी विभाग				1		
(ङ)	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग				2		
4.	ग्रामीण विकास मंत्रालय		1		4	4	4

5.	उपरोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय						
(क)	उपरोक्ता मामले विभाग		1		1	4	
(ख)	अग्रिम बाजार आयोग			1	2	6	5
6.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय					2	1
7.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय			1	1	2	2
8.	गृह मंत्रालय (आसूचना ब्यूरो)				2		
9.	शहरी विकास मंत्रालय						
(क)	समुचित मंत्रालय			1			
(ख)	नगर और ग्राम योजना संगठन				1	1	
10.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय						
	राष्ट्रीय निर्माण संगठन				1	1	2
11.	श्रम और रोजगार मंत्रालय						
(क)	समुचित मंत्रालय		1	1	4	5	7
(ख)	श्रम ब्यूरो			1	3	6	5
12.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय						
(क)	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग				1	1	1
(ख)	आर्थिक सलाकार का कार्यालय		1	2	2	4	3
(ग)	टैरिफ आयोग			1	7	5	4
(घ)	वाणिज्य विभाग			2	5	3	4
(ङ)	वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय				4	5	
(च)	विदेश व्यापार महानिदेशालय					1	
13.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम						



	मंत्रालय						
(क)	समुचित मंत्रालय			1	1		
(ख)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास आयुक्त का कार्यालय			2	2	7	6
14.	जल संसाधन मंत्रालय						
(क)	समुचित मंत्रालय			1	1		
(ख)	केन्द्रीय जल आयोग योजना आयोग				1	2	2
15.	समुचित आयोग	1	1	5	46	22	20
(ख)	कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन				11	15	8
16.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय						
(क)	दूरसंचार विभाग		1	1	2		
(ख)	डाक विभाग				1		
(ग)	संचार प्रौद्योगिकी विभाग			1		1	
17.	ऊर्जा मंत्रालय						
(क)	समुचित मंत्रालय				1		
(ख)	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण			1	2		
18.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय			1	2		
19.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय				1	2	2
20.	वस्त्र मंत्रालय						
(क)	समुचित मंत्रालय			1	1		1
(ख)	जूट आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता					1	1
(ग)	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुम्बई					1	
(घ)	हस्तशिल्प विकास आयुक्त का कार्यालय					1	1
21.	रेल मंत्रालय		1		1	1	
22.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय						

(क)	उच्चतर और माध्यमिक शिक्षा विभाग			1			
(ख)	प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग			1			
23.	महिला और बाल विकास मंत्रालय			1	1	1	
24.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय			1	1		
25.	इस्पात मंत्रालय			1			
26.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय						
(क)	रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग			1		1	
(ख)	उर्वरक विभाग			1			
(ग)	राष्ट्रीय फार्मास्यूटीकल्स मूल्यांकन प्राधिकरण				1		
27.	पर्यावरण और वन मंत्रालय			1	1		1
28.	नागर विमानन मंत्रालय			1			
29.	पूर्वांचल राज्य विकास मंत्रालय			1	1		
30.	आर्थिक और सांख्यिकी महानिदेशालय, गोवा				1	1	
31.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय			1	2	1	
32.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय			1			1
33.	जनजातीय कार्य मंत्रालय			1		1	
34.	कोयला मंत्रालय			1			1
35.	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय			1			
36.	पर्यटन मंत्रालय			1	1		
	कुल योग	2	10	50	161	136	102

टिप्पण :-

(1) कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के कुल पदों के 30 % ज्येष्ठ ड्यूटी पद, जैसे ज्येष्ठ समय वेतनमान (ग्रेड II) और ऊपर के अकृतिक चयन ग्रेड (रु. 14,300-400-18,300) पद सहित अपर-आर्थिक सलाहकार या निदेशक या समतुल्य ।

(2) व्यक्ति मंत्रालय या विभागों में कतिपय पदों के पदनाम संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा संगठनात्मक अवसंरचना और संबंधित मंत्रालय या विभाग में कार्य की प्रकृति से उद्भूत विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित किए गए हैं ।

अनुसूची 3  
(नियम 6(1)(क) देखें)

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती

भाग 1  
साधारण

1. सेवा की प्रविष्टि श्रेणी (कनिष्ठ समय वेतनमान) में सीधी भर्ती अनुसूची के भाग 2 में यथा उपबंधित रीति में एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी।
2. अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए या वह व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्गों का हो जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं।
3. अभ्यर्थी की ओर से अपने या अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने का कोई प्रयास करना अभ्यर्थी को आयोग द्वारा परीक्षा या चयन में प्रवेश के लिए निरहित बनाएगा।
4. परीक्षा या चयन में सफलता नियुक्ति के लिए तब तक कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है जब तक कि सरकार का ऐसी जांच के पश्चात् जो आवश्यक समझी जाए यह समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
5. ऐसे किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो ऐसी चिकित्सीय परीक्षा के पश्चात् जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का नहीं पाया जाता और किसी मानसिक शारीरिक त्रुटि से मुक्त नहीं है जिससे सेवा के किसी अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्य के निर्वहन होने में बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो।
6. कोई व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

भाग 2

प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती

1. परीक्षा का आयोजन- सेवा के कनिष्ठ समय वेतनमान में नियुक्ति के लिए कोई खुली प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे समय और स्थान पर आयोजित की जाएगी जो आयोग द्वारा प्रकाशित रोजगार समाचार में विनिर्दिष्ट किया जाए। प्रकाशित ऐसा रोजगार समाचार जब संभव हो परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या घोषित करेगा। ऐसी रिक्तियों की बाबत जो भारत सरकार द्वारा नियत की जाएं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण किया जाएगा।
2. संयुक्त परीक्षा - यदि इस भाग के अधीन आयोजित कोई परीक्षा एक से अधिक सेवा के लिए नियुक्ति करने के प्रयोजन के लिए संयुक्त परीक्षा है तो निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे, अर्थात् -

(क) कोई व्यक्ति सभी या किन्हीं सेवाओं के लिए जिनके लिए वह पात्र है नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के रूप में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकेगा। यदि वह एक से अधिक सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की वांछ करता है या करती है तो वह अपने आवेदन प्ररूप में उन सेवाओं के नाम जिनके लिए वह विचार किए जाने की वांछ करता है या करती है कथन करेगा/करेगी, और उनके लिए उसकी अधिमान्यता का क्रम और ऐसे मामलों में केवल एक आवेदन प्ररूप आवश्यक होगा और पैरा 7 में निर्दिष्ट फीस का केवल एक संदाय होगा।

(ख) सरकार सभी परिस्थितियों जिनके अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा अभिव्यक्त कोई व्यक्तिगत अधिमान भी है पर विचार करने के पश्चात् उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रत्येक सेवा में समनुदेशित करेगी।

3. आवेदन करने का प्ररूप - कोई अभ्यर्थी ऐसी तारीख से पूर्व, ऐसी रीति में और ऐसे प्ररूप में जो आयोग विनिर्दिष्ट करे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करेगा/करेगी।

4. आयु-सीमा - अभ्यर्थी उस वर्ष की 1 जनवरी को जिसमें परीक्षा आयोजित की जानी है, की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और 30 वर्ष की आयु पूरी नहीं होनी चाहिए : परंतु ऊपरी आयु सीमा ऐसे प्रवर्गों के संबंध में शिथिल की जा सकेगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं और शिथिल की गई आयु सीमा प्रत्येक प्रवर्ग के संबंध में अधिसूचित की जाएगी।

ऊपर उपबंधित के सिवाय विहित आयु सीमा किसी भी दशा में शिथिल नहीं की जाएगी।

आयोग मैट्रिककुलेशन प्रमाण-पत्र या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र या किसी मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा जारी किसी प्रमाण पत्र में यथा प्रविष्ट जन्म की तारीख के सबूत को स्वीकार करेगा।

5. शैक्षिक अर्हताएं -- (1) अभ्यर्थी के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान के द्वारा निगमित विश्वविद्यालय या किसी संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य शैक्षणिक संस्थानों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन किसी सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित विश्वविद्यालय या समय-समय पर सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या प्रयुक्त अर्थशास्त्र या कारबार अर्थशास्त्र या अर्थविज्ञान में कोई स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए।

(2) वह अभ्यर्थी जो अर्हक परीक्षा में उपस्थित हुआ है जिसका उत्तीर्ण करना उसे खुली प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र बनाएगा किंतु उसको परिणाम की सूचना नहीं मिली है वह उस परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेगा। ऐसा अभ्यर्थी भी ऐसी अर्हक परीक्षा में उपस्थित होने का आशय रखता है आवेदन कर सकेगा। ऐसा अभ्यर्थी खुली प्रतियोगिता परीक्षा में प्रवेश पा सकेगा, यदि अन्यथा पात्र हो किंतु उसका प्रवेश अनंतिम समझा जाएगा और निरस्त किए जाने के अधीन होगा यदि वे विस्तृत आवेदन प्ररूप के साथ जो ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जो खुली प्रतियोगिता परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम पर अर्हित होते हैं, अपेक्षित अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का सबूत प्रस्तुत नहीं करते हैं।

(3) अपवाद के मामलों में, आयोग किसी अभ्यर्थी को जिसके पास पूर्ववर्ती अर्हताओं में से कोई भी नहीं है अर्हित अभ्यर्थी के रूप में मान सकेगा परंतु यह कि वह अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर चुका है/चुकी है, जिसका स्तर आयोग की राय में परीक्षा में उसके प्रवेश के लिए न्यायसंगत है।

- (4) कोई अभ्यर्थी जो अन्यथा अर्हित है किंतु उसने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है डिग्री ली है वह भी आयोग को आवेदन कर सकेगा और आयोग के विवेकानुसार परीक्षा में प्रवेश पा सकेगा ।
6. सरकारी सेवा में अभ्यर्थी चाहे वह स्थायी या अस्थायी हैसियत में हो या कार्य प्रभारित कर्मचारी हो उनसे भिन्न जो आकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारी हैं या जो लोक उद्यम के अधीन सेवा कर रहे हैं उनसे अपेक्षा की जाएगी की वे एक ऐसा वचनबंध प्रस्तुत करें कि उन्होंने अपने कार्यालय अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष को लिखित में यह सूचना दे दी है कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया है ।
7. फीस-- अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित फीस का संदाय करना चाहिए जब तक कि समय-समय पर इस बाबत अधिसूचित छूटों और / या रियायतों के अनुसार छूट न दी गई हो या रियायत अनुदत्त न की गई हो ।
8. परीक्षा की स्कीम - (1) वह अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में ऐसे न्यूनतम अर्हक अंक अभिप्राप्त करता है जो आयोग द्वारा स्वविवेक से नियत किए जाएं उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा: परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शिथिल किए गए मानकों को शिथिल करके आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकेगा यदि आयोग की यह राय है कि इन समुदायों से पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए साधारण मानक के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने की संभावना नहीं है ।
- (2) साक्षात्कार परीक्षा के पश्चात् प्रत्येक सेवा के अभ्यर्थी आयोग द्वारा अंतिम रूप से प्रत्येक अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में दिए गए कुल अंकों द्वारा प्रकटित रूप में गुणागुण के क्रम में व्यवस्थित किए जाएंगे और उस क्रम में अनेक अभ्यर्थियों की जो आयोग द्वारा परीक्षा में अर्हित पाए जाते हैं, परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरे जाने के लिए विनिश्चित अनारक्षित रिक्तियों की संख्या तक नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाएगी ।
- (3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक आयोग द्वारा शिथिल मानक पर सेवा में नियुक्ति के लिए इन अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के अधीन रहते हुए सिफारिश की जाएगी :

परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनकी आयोग द्वारा परीक्षा के किसी प्रक्रम पर पात्रता या चयन मानदंड में कोई शिथिलता/रियायत दिए बिना सिफारिश की गई है उनको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा ।

- (4) शारीरिक रूप से निःशक्त अभ्यर्थियों के पक्ष में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के क्रम में परीक्षा के सभी प्रक्रमों पर आयोग के विवेकानुसार विनिर्दिष्ट अर्हक मानदंड शिथिलनीय होंगे। यदि तथापि, शारीरिक रूप से निःशक्त अभ्यर्थी अपने गुणागुण के आधार पर आयोग द्वारा साधारण, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयोग द्वारा नियत अर्हक मानकों पर अपेक्षित संख्या में गुणागुण के आधार पर चयन किया जाता है तो अतिरिक्त शारीरिक रूप से निःशक्त अभ्यर्थी अर्थात् उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या से अधिक आयोग द्वारा शिथिल मानकों पर सिफारिश नहीं की जाएगी ।

- (5) व्यक्ति अभ्यर्थियों को परीक्षा के परिणाम की संसूचना का प्ररूप और रीति का विनिश्चय आयोग द्वारा उसके विवेकानुसार किया जाएगा और आयोग उनके साथ परिणाम के संबंध में पत्राचार नहीं करेगा ।
9. आयोग के विनिश्चय का अंतिम होना- अभ्यर्थी के आवेदन को स्वीकार करने उसकी पात्रता या उसकी परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता या अन्यथा के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे किसी अभ्यर्थी जिसको आयोग द्वारा प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।
10. कदाचार के लिए शास्ति- ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसे आयोग द्वारा प्रतिरूपण या जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या ऐसे दस्तावेज जिनमें छेड़छाड़ की गई है के प्रस्तुत करने या ऐसा कथन करने जो गलत या असत्य है या सारवान सामग्री को छुपाने या अन्यथा परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन जुटाने या परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग करने या उपयोग करने का प्रयास करने का दोषी घोषित किया गया है, स्वयं को दंडिक अभियोजन के लिए दायी ठहराने के अतिरिक्त आयोग द्वारा ऐसी परीक्षा से जिसके लिए वह अभ्यर्थी है और आयोग द्वारा ऐसी परीक्षा से जिसके लिए वह अभ्यर्थी है निरहित दायी ठहराया जाएगा और/या उस पर स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रोक लगाया जाएगा,—
- (i) आयोग द्वारा किसी परीक्षा से या उनके द्वारा आयोजित चयन से ;
- (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके अधीन किसी रोजगार से और वह पहले से ही सरकार की सेवा में है तो उसके विरुद्ध समुचित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी ।

**अनुसूची-4**  
(नियम 6 देखें)

भारतीय आर्थिक सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पदों में प्रोन्नति पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अगली निम्नतर श्रेणी में भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति का श्रेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा ।

क्र.सं.	श्रेणी	भर्ती की पद्धति	चयन अथवा अचयन पद	प्रोन्नति के लिए चयन का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी + (रु० 26,000-नियत)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी में ऐसे अधिकारी जिनकी उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की है ।
2.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी (22,400-525-24,500)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में ऐसे अधिकारी जिनकी उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा है ।
3.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (रु० 18,400-500-22,400)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में ऐसे अधिकारी जिनकी कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यकारी चयन श्रेणी) में आठ वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा है ।

4.	अकृत्यकारी चयन श्रेणी (14,300-400-18,300 रु०)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने, उस वर्ष की 1 जनवरी को जिसकी गणना उस वर्ष से उस परीक्षा के वर्ष के अनुवर्ती वर्ष से जिसके आधार पर ऐसा सदस्य भर्ती किया गया था की जानी है, चौदहवें वर्ष में प्रवेश कर लिया है।
5.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (12,000-375-16,500)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	ज्येष्ठ समय वेतनमान में ऐसा अधिकारी जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है।
6.	ज्येष्ठ समय वेतनमान (10,000-325-15,200 रु०)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	कनिष्ठ समय वेतनमान में ऐसा अधिकारी जिसने उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है।
7.	कनिष्ठ समय वेतनमान (8,000-275-13,500 रु०)	(i) 60 % सीधी भर्ती द्वारा	चयन	सीधी भर्ती अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट रीति में उन अभ्यर्थियों में से की जानी है जिनके पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान के किसी अधिनियम द्वारा निगमित
				किसी विश्वविद्यालय या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित या समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र या कारबार अर्थशास्त्र या अर्थविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री है
		(ii) 40 % प्रोन्नति भर्ती द्वारा	चयन	ऐसे अधिकारी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं,- (i) जिनके पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य शैक्षणिक संस्थानों और

			<p>विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित या समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र या कारबार अर्थशास्त्र या अर्थविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री है, और</p> <p>(ii) जिन्होंने आर्थिक अधिकारी के रूप में कम से कम सात वर्ष की सेवा की है या जो ऐसे नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त समतुल्य पद (6500-10500 रूपए वेतनमान में) धारण किए हुए हैं, जो आयोग के परामर्श से भाग लेने वाले सरकार के मंत्रालयों/विभागों में अवस्थित ऐसे पदों की सूची तैयार करेगा।</p>
--	--	--	---

टिप्पण —

- (1) उस वर्ष की 1 जनवरी, जिससे रिक्तियां संबंधित हैं विभिन्न श्रेणियों में प्रोन्नति के लिए अधिकारियों की पात्रता अवधारण करने के लिए तारीख होगी।
- (2) जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
- (3) कनिष्ठ समय वेतनमान स्तर पर सेवा में प्रोन्नति द्वारा सम्मिलित किए जाने के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को अवस्थित पोषक श्रेणी के अधिकारियों की दशा में लागू नहीं होंगी।

## अनुसूची-5

## [नियम 6(1) (ड)]

भारतीय आर्थिक सेवा के समूह 'क' अधिकारियों की प्रोन्नति और पुष्टि के मापदंडों में पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना।

क्र.सं.	श्रेणी	श्रेणी में प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना	श्रेणी में पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कनिष्ठ समय वेतनमान	1. अध्यक्ष/सदस्य आयोग-अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ आर्थिक सलाहकार (भारतीय आर्थिक	1. ज्येष्ठ आर्थिक सलाहकार (भारतीय



		सेवा)/ सलाहकार (भारतीय आर्थिक सेवा)/संयुक्त सचिव ( भारतीय आर्थिक सेवा)-सदस्य 3. निदेशक (भारतीय आर्थिक सेवा)/संयुक्त निदेशक (भारतीय आर्थिक सेवा)-सदस्य	आर्थिक सेवा)/ सलाहकार (भारतीय आर्थिक सेवा)/संयुक्त सचिव (भारतीय आर्थिक सेवा)-सदस्य 2.निदेशक (भारतीय आर्थिक सेवा)/संयुक्त निदेशक (भारतीय आर्थिक सेवा)-सदस्य
2.	ज्येष्ठ समय वेतनमान	1.ज्येष्ठ आर्थिक सलाहकार (भारतीय आर्थिक सेवा)/ सलाहकार (भारतीय आर्थिक सेवा)/संयुक्त सचिव (भारतीय आर्थिक सेवा)-अध्यक्ष 2. उपसचिव/ निदेशक (स्थापन), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-सदस्य 3. निदेशक (भारतीय आर्थिक सेवा)/संयुक्त निदेशक (भारतीय आर्थिक सेवा)-सदस्य	
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	1. मुख्य आर्थिक सलाहकार -अध्यक्ष 2.संयुक्त सचिव (स्थापन), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 3. ज्येष्ठ आर्थिक सलाहकार (भारतीय आर्थिक सेवा)/ सलाहकार (भारतीय आर्थिक सेवा)/संयुक्त सचिव (भारतीय आर्थिक सेवा)-सदस्य	
4.	अकृत्यकारी चयन श्रेणी	1. वित्त सचिव/सचिव, आर्थिक कार्य - अध्यक्ष 2.मुख्य आर्थिक सलाहकार -सदस्य 3.संयुक्त सचिव (स्थापन), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-सदस्य 4.ज्येष्ठ आर्थिक सलाहकार (भारतीय आर्थिक सेवा)/ सलाहकार (भारतीय आर्थिक सेवा)/संयुक्त सचिव (भारतीय आर्थिक सेवा)-सदस्य	
5.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	1.अध्यक्ष/सदस्य आयोग-अध्यक्ष 2.वित्त सचिव/सचिव, आर्थिक कार्य - सदस्य 3.मुख्य आर्थिक सलाहकार -सदस्य	
6.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी	1.अध्यक्ष/सदस्य आयोग-अध्यक्ष 2.वित्त सचिव/सचिव, आर्थिक कार्य - सदस्य 3.मुख्य आर्थिक सलाहकार -सदस्य	
7.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी +	1.अध्यक्ष/सदस्य आयोग-अध्यक्ष 2.वित्त सचिव/सचिव, आर्थिक कार्य - सदस्य 3.मुख्य आर्थिक सलाहकार -सदस्य	

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Economic Affairs)**  
**NOTIFICATION**  
 New Delhi, the 5th June, 2008

**G.S.R. 435(E).**— In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Indian Economic Service Rules, 1961, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Indian Economic Service, namely:—

1. **Short Title and Commencement-** (1) These rules may be called the Indian Economic Service Rules, 2008.  
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definition-** In these rules, unless the context otherwise requires,— (a) "Board" means the Indian Economic Service Board referred to in rule 4;  
 (b) "Commission" means the Union Public Service Commission;  
 (c) "Committee" means the Departmental Promotion Committee constituted to consider the promotion to or confirmation in any grade as indicated in Schedule V;  
 (d) "Controlling Authority" means the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India as referred to in rule 4;  
 (e) "Duty Post" means the posts which are included in Schedule I;  
 (f) "Examination" means the competitive examination consisting of a written examination and an interview held by the Commission for recruitment to the Indian Economic Service as indicated in Schedule III;  
 (g) "Grade" means a grade specified in Column (2) of Schedule I;  
 (h) "Schedule" means the schedule annexed to these rules;  
 (i) "Service" means the Indian Economic Service constituted under rule 3;  
 (j) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the meanings respectively assigned to them in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution of India;  
 (k) "Other Backward Classes" shall comprise the castes and communities notified by the Central Government from time to time.  
 (l) "Regular Service", in relation to any grade, means the period of service in that grade rendered after selection to that grade and include any period—  
 (i) taken into account for purpose of seniority in the case of those already in service at the time of notification of these rules;  
 (ii) during which an officer would have held a post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such posts.
3. **Constitution of the Service-** (1) There shall be a constituted Service known as the Indian Economic Service consisting of persons appointed to the Service under rules 6 and 7.  
 (2) All the posts included in the Service shall be classified as Group 'A' posts.  
 (3) The Service, shall on the date of commencement of these rules, consist of officers who have already been appointed on a regular basis to the Indian Economic Service in the various grades as specified in Schedule I.  
 (4) The regular basis service of officer referred to in sub-rule (3) in the respective corresponding grades, rendered prior to the publication of these rules, shall continue to count as qualifying service for the purpose of seniority, confirmation, promotion and pension.

4. **Controlling Authority-** (1) The Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs shall be the Controlling Authority of the Service which shall work on the advice of a Board to be known as Indian Economic Service Board.
- (2) The Controlling Authority shall notify the composition of the Board in the Official Gazette for the purposes of these rules.
5. **Grades, Authorized strength and its review-** (1) The authorized permanent strength of the various grades of the Service on the date of commencement of these rules, the number of posts in each grade and the pay scales attached thereto, shall be as specified in Schedule I.
- (2) The distribution of posts over various Ministries or Departments and designation of each post shall be as specified in Schedule II.
- (3) After the date of commencement of these rules, the authorized permanent strength of various grades of the Service shall be such as may, from time to time, be determined by the Government, which shall be duly incorporated into the Recruitment Rules by amending Schedule I and Schedule II.
- (4) The Controlling Authority may, with the approval of the Department of Expenditure, make such temporary additions or adjustments to the strength of respective grades as it may deem necessary from time to time subject to any general or special orders that may be issued by the Government.
- (5) The Controlling Authority may, with the approval of the Department of Expenditure, make such adjustments in the distribution of posts between different Ministry or Department, keeping in view the needs of the participating Ministry or Department.
- (6) The Controlling Authority may, with the approval of the Department of Expenditure, include in the Service such posts (other than those included in Schedule I) as may be deemed equivalent to the posts included in the Service in status, grades, scales of pay and professional context, or exclude from the Service any posts included in the said Schedule.
- (7) The Controlling Authority shall manage the posts in a centralized manner, making the orders of the Controlling Authority binding on the participating Ministry or Department.
6. **Future Maintenance of the Service-** The posts in any of the grades shall be governed by and filled in the following manner namely,-
- (a) 60 per cent of the posts in the grade of Assistant Director (Junior Time Scale) shall be filled by direct recruitment on the basis of the results of the Examination, to be held by the Commission in the manner specified in Schedule III.
- (b) The remaining 40 per cent of the posts in that grade (i.e. Assistant Director) shall be filled by promotion of Economic officers or officers holding equivalent posts (pay scale of Rs. 6,500-10,500) recognized by the Controlling Authority for this purpose, on the basis of selection in accordance with the provisions of Schedule IV.
- (c) After the total number of posts at Junior Time Scale level is apportioned between direct recruitment and promotion on the basis of (a) and (b) above, recruitment or promotion for yearly vacancies shall be made with reference to the shortage in the respective streams at Junior Time Scale level vis-à-vis the prescribed ratio.
- (d) Appointments in the Service to the posts of Deputy Director (Senior Time Scale) and above shall be made by promotion from amongst the officers in the next lower grade with the minimum qualifying service as specified in Column (5) of Schedule IV.
- (e) Promotion of officers shall be made by 'selection' on the basis of the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted in accordance with Schedule V.
7. **Appointment to the Service-** (1) All appointments to the Service after notification of these rules shall be made by the Government.
- (2) Initial appointment of the persons recruited to the Service under clauses (a) and (b) of rule 6 shall be in the Junior Time Scale of the Service.
- (3) The date of appointment of a direct recruit appointed under clause (a) of rule 6 shall be the date on which he/she was recommended by the Commission for appointment to the Junior Time Scale.
- (4) The date of appointment of a promotee officer appointed under clause (b) of rule 6 shall be the date on which he/she was included in the Select List recommended by Commission for promotion.

- to Junior Time Scale, or the date on which he was appointed to the Junior Time Scale, whichever may be the later.
- (5) The date of appointment of officers promoted to any other grade (i.e. Senior Time Scale and above) shall be the date on which he/she was included in the Select List as recommended by the Committee for promotion to that grade, or the date on which he/she was appointed to the grade, whichever may be the later.
- (6) Appointment to the Service shall be subject to the orders regarding the special representation in the Service for specific classes or categories of persons issued by the Government from time to time.
8. **Appointment by Deputation-** In the event of non-availability of eligible candidates by direct recruitment or by promotion, the Government may appoint on deputation/contract basis to a post borne on the Cadre of the Service, officers in the appropriate grade from other Departments of the Central Government or, in consultation with the Commission, from a State Government, Union Territory or Statutory, Semi Government, Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies, and the period of deputation shall not exceed three years.
9. **Probation-** (1) Candidates appointed to the Service either by direct recruitment or by promotion under clauses (a) or (b) of rule 6, shall be on probation for a period of two years.
- (2) A probationer under training, shall attend such lectures and undergo such examination/tests and exercises in various training centres as decided by the Controlling Authority from time to time.
- (3) At the end of the period of training, the Controlling Authority shall assess the records, taking into account the marks obtained by the probationer in different training institutes and departmental examinations (including examination in Hindi), etc.
- (4) The Government may extend the period of probation specified in sub rule (1), if on the expiration of the said period of probation or any extension thereof, as the case may be, it is of the opinion that the probationer is not fit for permanent appointment or at any such time during such period of probation or extension, it is satisfied that the candidate shall not be fit for permanent appointment on the expiration of the period of such probation or of extension, the Government may discharge or revert a probationer to his substantive post or pass such orders as it may think fit.
- (5) On the completion of the period of probation the candidates, if considered fit for permanent appointment, shall be confirmed in their appointment.
- (6) The Controlling Authority shall prepare a list of all probationers who are recruited to the Service through the Commission and such list shall be arranged in order of merit which shall be determined in accordance with the marks obtained at the examination held by the Commission.
- (7) Sub-rule (6) shall not be applicable to the officers appointed to the Junior Time Scale by promotion.
- (8) As regards other matters relating to probation, the candidates shall be governed by the orders or instructions issued by the Government from time to time in this regard.
10. **Seniority-** (1) The seniority of the officer of the Service, appointed to any grade shall be governed by their relative seniority obtaining immediately before the date of commencement of these rules: Provided that if the seniority of any officer of the Service has not been determined before the commencement of these rules, the same shall be determined in accordance with the Indian Economic Service Rules, 1961 applicable to officer of the Service before the commencement of these rules.
- (2) The seniority of persons appointed to the grade of Assistant Director and equivalent (Junior Time Scale) shall be determined as follows, namely:
- (i) The inter-se seniority among the officer promoted from the grade of Economic Officer and equivalent, shall be determined in the order of their selection for such promotion and the officer promoted on the basis of an earlier selection shall rank senior to those promoted on the basis of subsequent selection.
- (ii) The inter-se seniority among the direct recruits shall be determined with reference to the marks obtained in the examination as per rule 9, sub-rule (6) and any person appointed on the basis of an earlier selection shall rank senior to all other persons appointed on the basis of any subsequent selection.

- (iii) The inter-se seniority among the direct recruits appointed through the examination in a particular year and the promotee officers assigned to that year, shall be determined according to the rotation of vacancies between the direct recruits and promotees which shall be based on the quota prescribed for direct recruitment and promotion in the Recruitment Rules.
- (3) The inter-se seniority of officers appointed to other grades in the Service (i.e. Senior Time Scale and above) shall be determined in the order of their position in the respective select lists for promotion to such grades and those promoted on the basis of an earlier selection shall rank senior to those promoted on the basis of a subsequent selection.
- (4) In cases where juniors who have completed their qualifying or eligibility service have been/are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
11. **Conditions of Service-** (1) Officer appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India, including field service in or out of India.
- (2) The conditions of service of the officer of the Service in respect of matters for which no provision has been made under these rules shall be the same as are applicable from time to time, to the officers of Central Civil Services in general.
12. **Disqualification-** No person, —
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, — shall be eligible for appointment to the Service:
- Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
13. **Power to Relax-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
14. **Saving-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.
15. **Interpretation-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government who shall decide the same.
16. **Residuary Matters-** In regard to matters not specifically covered by these rules, or regulations or orders made or issued there under or by special orders, the members of the Service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable to the officers of Central Civil Services in general.

[F. No. 11011/1/2003-IES]  
RAJAN KUMAR, Director

**SCHEDULE- I**  
(See sub-rule (1) of rule 5)

**AUTHORISED STRENGTH OF THE VARIOUS GRADES IN THE SERVICE**

Sl. No.	Grade	Designation	Strength
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	<b>Duty Posts</b>		
(1)	Higher Administrative Grade + (Rs. 26,000- fixed)	Principal Adviser or equivalent	2
(2)	Higher Administrative Grade (Rs. 22,400-525-24,500)	Senior Economic Adviser or equivalent	10
(3)	Senior Administrative Grade (Rs. 18,400-500-22,400)	Economic Adviser or equivalent	50
(4)	Non-Functional Selection Grade (Rs. 14,300-400-18,300)	Additional Economic Adviser or Director or equivalent	30% of senior duty posts (i.e. posts in Senior Time Scale and above)
(5)	Junior Administrative Grade (Rs. 12,000-375-16,500)	Deputy Economic Adviser or Joint Director or equivalent	161
(6)	Senior Time Scale Rs. 10,000-325-15,200)	Assistant Economic Adviser or Deputy Director or equivalent	136
(7)	Junior Time Scale (Rs. 8,000-275-13,500)	Research Officer or Assistant Director or equivalent	102
		<b>Total Duty posts</b>	<b>461*</b>
II	<b>Reserves</b>		
(1)	Leave Reserve		40
		<b>Total authorized strength</b>	<b>501*</b>

\* The revised strength is effective from the 4<sup>th</sup> August, 2005 (i.e. the date of approval by the Government for the Cadre Review of the Service).

**SCHEDULE- II**  
(See sub-rule (2) of rule 5)

**STATEMENT OF DUTY POSTS FOR THE INDIAN ECONOMIC SERVICE**

Sl. No.	Ministry or Department	Number of posts at Higher Administrative Grade + (Principal Adviser or equivalent) (Rs. 26,000-fixed)	Number of posts at Higher Administrative Grade (Senior Economic Adviser or equivalent) (Rs. 22,400-525-24,500)	Number of posts at Senior Administrative Grade (Economic Adviser or equivalent) (Rs. 18,400-500-22,400)	Number of posts at Non-Functional Selection Grade/ Junior Administrative Grade (Additional Economic Adviser, Director or Deputy Economic Adviser, Joint Director or equivalent) Rs. 14,300-400-18,300/Rs. 12,000-325-16,500)	Number of posts at Senior Time Scale (Assistant Economic Adviser/ Deputy Director or equivalent) (Rs. 10,000-325-15,200)	Number of posts at Junior Time Scale (Research Officer/ Assistant Director or equivalent) (Rs. 8,000-275-13,500)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	<b>Ministry of Finance</b>						
(a)	Department of Economic Affairs		1	3	16	12	4
(b)	Department of Expenditure				2		
(c)	Department of Revenue		1				
2.	<b>Ministry of Corporate Affairs</b>						
(a)	Ministry (Main)			1	2	2	2
(b)	Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission				1		
3.	<b>Ministry of Agriculture</b>						
(a)	Department of Agriculture and Co-operation	1		1	2	2	1
(b)	Directorate of Economics and Statistics		1	4	11	9	9
(c)	Commission for Agricultural Costs and Prices			1	4	4	4
(d)	Department of Animal Husbandry and Dairying				1		
(e)	Department of Agriculture Research & Education				2		
4.	<b>Ministry of Rural Development</b>		1		4	4	4
5.	<b>Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution</b>						
(a)	Department of Consumer Affairs		1		1	4	
(b)	Forward Markets Commission			1	2	5	5
6.	<b>Ministry of Food Processing Industries</b>					2	1
7.	<b>Ministry of Road Transport and Highways</b>			1	1	2	2
8.	<b>Ministry of Home Affairs (Intelligence Bureau)</b>				2		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.	<b>Ministry of Urban Development</b>						
(a)	Ministry proper			1			
(b)	Town and Country Planning Organization				1	1	
10.	<b>Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation</b>						
	National Building Organization				1	1	2
11.	<b>Ministry of Labour and Employment</b>						
(a)	Ministry proper		1	1	4	5	7
(b)	Labour Bureau			1	3	6	5
12.	<b>Ministry of Commerce and Industry</b>						
(a)	Department of Industrial Policy and Promotion				1	1	1
(b)	Office of Economic Adviser		1	2	2	4	3
(c)	Tariff Commission			1	7	5	4
(d)	Department of Commerce			2	5	3	4
(e)	Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics				4	5	
(f)	Directorate General of Foreign Trade					1	
13.	<b>Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises</b>						
(a)	Ministry proper			1	1		
(b)	Office of Development Commissioner for Micro, Small & Medium Enterprises			2	2	7	6
14.	<b>Ministry of Water Resources</b>						
(a)	Ministry proper			1	1		
(b)	Central Water Commission				1	2	2
15.	<b>Planning Commission</b>						
(a)	Commission proper	1	1	5	46	22	20
(b)	Programme Evaluation Organisation				11	15	8
16.	<b>Ministry of Communications and Information Technology</b>						
(a)	Department of Telecommunications		1	1	2		
(b)	Department of Posts				1		
(c)	Department of Information Technology			1		1	
17.	<b>Ministry of Power</b>						
(a)	Ministry proper				1		
(b)	Central Electricity Authority			1	2		
18.	<b>Ministry of Petroleum and Natural Gas</b>				1	2	
19.	<b>Ministry of Statistics and Programme Implementation</b>					1	2
20.	<b>Ministry of Textiles</b>						
(a)	Ministry proper			1	1		1
(b)	Office of Jute Commissioner, Kolkata					1	1



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(c)	Office of Textile Commissioner, Mumbai					1	
(d)	Office of Development Commissioner for Handicrafts					1	1
21.	Ministry of Railways		1		1	1	
22.	Ministry of Human Resource Development						
(a)	Department of Secondary and Higher Education			1			
(b)	Department of Elementary Education and Literacy			1			
23.	Ministry of Women and Child Development			1	1	1	
24.	Ministry of Health and Family Welfare			1	1		
25.	Ministry of Steel			1			
26.	Ministry of Chemicals and Fertilizers						
(a)	Department of Chemicals And Petrochemicals			1		1	
(b)	Department of Fertilizers			1			
(c)	National Pharmaceuticals Pricing Authority				1		
27.	Ministry of Environment and Forests			1	1		1
28.	Ministry of Civil Aviation			1			
29.	Ministry of Development of North Eastern Region			1	1		
30.	Directorate of Economics & Statistics, Goa				1	1	
31.	Ministry of Information and Broadcasting			1	2	1	
32.	Ministry of Social Justice and Empowerment			1			1
33.	Ministry of Tribal Affairs			1		1	
34.	Ministry of Coal			1			1
35.	Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises			1			
36.	Ministry of Tourism			1	1		
	Grand Total	2	10	50	161	136	102

## Notes:-

- (1) Of the total posts at the Junior Administrative Grade, 30% of senior duty posts, i.e. posts in Senior Time Scale (Grade III) and above will be in the Non-Functional Selection Grade (Rs.14,300-400-18,300), with designation being Additional Economic Adviser or Director or equivalent.
- (2) The designation of certain posts in individual Ministries or Departments may be notified by the Ministry or Department concerned keeping in view the specific requirements arising from the organizational structure and nature of work in the respective Ministry or Department.

**SCHEDULE- III**  
[See rule 6(1) (a)]

**DIRECT RECRUITMENT THROUGH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION**

**PART I**

**General**

1. Direct recruitment to entry grade (Junior Time Scale) of the Service shall be made through an open competitive examination in the manner as provided in part II of the Schedule.
2. A candidate must be a citizen of India or he must belong to such categories of persons as may from time to time be notified by the Government.
3. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his or her candidature by any means may make the candidate liable for being disqualified by the Commission from admission to the Examination or selection.
4. Success in the Examination or selection confers no right to appointment, unless the Government is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.
5. No candidate shall be appointed to the Service who after such medical examination, as the Government may specify, is not found to be in good mental and bodily health and free from any mental or physical defect likely to interfere with the discharge of the duties as an officer of the Service.
6. No person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person;
 shall be eligible for appointment to the Service:  
 Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**PART II**

**Recruitment through Competitive Examination**

1. Holding of Examination- An open competitive examination for appointment to Junior Time Scale of the Service shall be held at such time and place as may be specified in the Employment News published by the Commission. Every such Employment News published shall, when possible, announce the number of vacancies to be filled on the basis of result of the examination. Reservation shall be made for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and physically disabled categories and Other Backward Classes in respect of the vacancies as may be fixed by the Government of India.
2. Combined Examination- If an examination held under this part is a combined examination for the purpose of making appointment to more than one Service, the following provisions shall apply, namely,-
  - (a) any person may apply to be admitted as a candidate for appointment in all or any of the Services for which he or she is eligible. If he or she wishes to be considered for appointment in more than one Service, he or she shall state in his or her application form the names of the Services for which he or she wishes to be considered, and the order of his or her preference for them, and in such cases only one application form shall be necessary, and one payment of the fee referred to in paragraph 7 shall be sufficient.
  - (b) Government shall assign successful candidates to each Service on a consideration of all circumstances, including any personal preference expressed by the candidates.
3. Form of Making Application- A candidate shall apply for admission to the examination before such date, in such manner, and in such form, as the Commission may specify.

4. Age Limit- A candidate must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 30 years on the first day of January of the year in which the examination is held:  
Provided that the upper age limit may be relaxed in respect of such categories as may be notified by the Government from time to time and to the extent notified in respect of each category  
Save as provided above the age limits prescribed can in no case be relaxed.  
The Commission shall accept the proof of date of birth as entered in the Matriculation Certificate or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate issued by a recognized Indian University.
5. Educational Qualifications- (1) A candidate must have obtained a Post-graduate Degree in Economics or Applied Economics or Business Economics or Econometrics from a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed as University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) or a foreign University approved by the Government from time to time.
  - (2) Candidate who have appeared at a qualifying examination, the passing of which shall render them eligible to appear at this open competitive examination, but have not been informed of the result, may apply for admission to the examination. Candidate who intend to appear at such a qualifying examination may also apply. Such candidate shall be admitted to the open competitive examination, if otherwise eligible, but their admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation, if they do not produce the proof of having passed the requisite qualifying examination along with the detailed application form which shall be required to be submitted by the candidates who qualify on the results of the written part of the open competitive examination.
  - (3) In exceptional cases, the Commission may treat a candidate, who has none of the foregoing qualification, as a qualified candidate provided that he or she has passed examinations conducted by other institutions, the standard of which, in the opinion of the Commission justifies his or her admission to the examination.
  - (4) A candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a Foreign University which is not recognized by the Government may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.
6. Candidate in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work-charged employees, other than casual or daily-rated employees or those serving under Public Enterprises, shall be required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office or Department that they have applied for the Examination.
7. Fee- A candidate must pay the fee prescribed by the Commission, unless exempted therefrom or granted concession thereof in accordance with the exemptions and/or concessions in this respect notified from time to time.
8. Scheme of Examination- (1) Candidate who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be called by them for *viva-voce*:  
Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes may be summoned for *viva-voce* by the Commission by applying relaxed standards if the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be called for *viva-voce* on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them.
  - (2) After the interview, the candidates for each Service shall be arranged by the Commission in order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate in the written examination as well as interview and in that order, so many candidates as are found by the Commission to be qualified at the examination, shall be recommended for appointment upto the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.
  - (3) Candidate belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes may, to the extent of the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes, be recommended by the

Commission by a relaxed standard, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Service:

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes who have been recommended by the Commission without resorting to any relaxations/concessions in the eligibility or selection criteria at any stage of the examination shall not be adjusted against the vacancies reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes.

- (4) The specified qualifying standards shall be relaxable at the discretion of the Commission at all the stages of examination in favour of physically handicapped candidates in order to fill up the vacancies reserved for them. In case, however, the physically handicapped candidates get selected on their merit in the requisite number at the qualifying standards fixed by the Commission for the candidate belonging to General, Scheduled Caste or the Scheduled Tribe or the Other Backward Classes, extra physically handicapped candidates i.e. more than the number of vacancies reserved for them, shall not be recommended by the Commission on the relaxed standards.
- (5) The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission at their discretion and the Commission shall not enter into correspondence with them regarding the result.
9. Decision of the Commission to be final- The decision of the Commission as to the acceptance of the application of a candidate and his or her eligibility or otherwise for admission to the examination shall be final; and no candidate to whom a admission card has not been issued by the Commission shall be admitted to the examination.
10. Penalty for Misconduct- A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation, or of submitting fabricated document or documents which have been tampered with, or of making statements which are incorrect or false, or of suppressing material information, or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable to be disqualified by the Commission from the examination for which he or she is a candidate; and/or to be debarred either permanently or for a specified period,-
  - (i) by the Commission from any examination or selection held by them;
  - (ii) by the Central Government from any employment under them; and if he or she is already in service under the Government, to take disciplinary action under the appropriate rules.

**SCHEDULE -IV**  
(See rule 6)

**METHOD OF RECRUITMENT, FIELD OF PROMOTION AND MINIMUM QUALIFYING SERVICE IN THE NEXT LOWER GRADE FOR APPOINTMENT OF OFFICERS ON PROMOTION TO DULY POSTS INCLUDED IN VARIOUS GRADES OF THE INDIAN ECONOMIC SERVICE**

Sl. No.	Grade	Method of recruitment	Whether selection or non-selection post	Field of Selection and minimum qualifying service for promotion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Higher Administrative Grade + (Rs. 26,000- fixed)	By promotion	Selection	Officer in Higher Administrative Grade with two years of regular service in the grade.
2.	Higher Administrative Grade (Rs. 22,400-525-24,500)	By promotion	Selection	Officer in the Senior Administrative Grade with three years of regular service in the grade.
3.	Senior Administrative Grade (Rs. 18,400-500-22,400)	By promotion	Selection	Officer in the Junior Administrative Grade with eight years of combined regular service in Junior Administrative Grade and Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade).
4.	Non-Functional Selection Grade (Rs. 14,300-400-18,300)	By promotion	Selection	Officer of the Junior Administrative Grade who have entered the 14 <sup>th</sup> year of service on the 1 <sup>st</sup> January of the year calculated from the year following the year of examination on the basis of which such member was recruited.
5.	Junior Administrative Grade (Rs. 12,000-375-16,500)	By promotion	Selection	Officer in the Senior Time Scale who have completed five years of regular service in the grade.
6.	Senior Time Scale (Rs. 10,000-325-15,200)	By promotion	Selection	Officer in the Junior Time Scale who have completed four years of regular service in the grade.
7.	Junior Time Scale (Rs. 8,000-275-13,500)	(i) 60% by direct recruitment	Selection	Direct recruitment to be made in the manner specified in Schedule III from amongst candidates possessing a Post graduate Degree in Economics or Applied Economics or Business Economics or Econometrics from a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational Institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed as University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) or a foreign University approved by the Central Government from time to time.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(ii) 40% by promotion	Selection	Officer meeting the following conditions,- (i) possessing a Post-graduate Degree in Economics or Applied Economics or Business Economics or Econometrics from a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational Institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed as University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) or a foreign University approved by the Central Government from time to time, and (ii) having rendered at least seven years of regular service as Economic Officer or holding equivalent post (scale of Rs. 6,500-10,500) recognized for this purpose by the Controlling Authority, who shall prepare a list of such posts located in the participating Ministries/ Departments of the Government, in consultation with the Commission.

## Note-

- (1) First January of the year to which the vacancies pertain, shall be the date for determining the eligibility of officers for promotion to various grades.
- (2) Where juniors who have completed their qualifying service or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
- (3) Educational qualifications prescribed for induction by promotion into the Service at the Junior Time Scale level shall not be applicable in the case of feeder grade officers in position on the date of notification of these rules.

**SCHEDULE - V**  
[See rule 6(1) (e)]

**COMPOSITION OF DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE FOR CONSIDERING CASES OF PROMOTION AND CONFIRMATION OF GROUP 'A' OFFICERS OF INDIAN ECONOMIC SERVICE**

Sl. No.	Grade	Composition of Departmental Promotion Committee for Promotion to the grade	Composition of Departmental Promotion Committee for Confirmation to the grade
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Junior Time Scale	1. Chairman/Member, Commission- <i>Chairman</i> 2. Senior Economic Adviser (Indian Economic Service)/ Adviser (Indian Economic Service)/Joint Secretary (Indian Economic Service)- <i>Member</i> 3. Director (Indian Economic Service)/Joint Director (Indian Economic Service)- <i>Member</i>	1. Senior Economic Adviser (Indian Economic Service)/ Adviser (Indian Economic Service)/Joint Secretary (Indian Economic Service)- <i>Member</i> 2. Director (Indian Economic Service)/ Joint Director (Indian Economic Service)- <i>Member</i>
2	Senior Time Scale	1. Senior Economic Adviser (Indian Economic Service)/ Adviser (Indian Economic Service)/Joint Secretary (Indian Economic Service)- <i>Chairman</i> 2. Deputy Secretary/Director (Establishment), Department of Personnel & Training- <i>Member</i> 3. Director (Indian Economic Service)/Joint Director (Indian Economic Service)- <i>Member</i>	
3.	Junior Administrative Grade	1. Chief Economic Adviser- <i>Chairman</i> 2. Joint Secretary (Establishment), Department of Personnel & Training - <i>Member</i> 3. Senior Economic Adviser (Indian Economic Service)/ Adviser (Indian Economic Service)/Joint Secretary (Indian Economic Service)- <i>Member</i>	
4.	Non-Functional Selection Grade	1. Finance Secretary/Secretary, Economic Affairs- <i>Chairman</i> 2. Chief Economic Adviser- <i>Member</i> 3. Joint Secretary (Establishment), Department of Personnel & Training - <i>Member</i> 4. Senior Economic Adviser (Indian Economic Service)/ Adviser (Indian Economic Service)/Joint Secretary (Indian Economic Service)- <i>Member</i>	
5.	Senior Administrative Grade	1. Chairman/Member, Commission- <i>Chairman</i> 2. Finance Secretary/ Secretary, Economic Affairs- <i>Member</i> 3. Chief Economic Adviser- <i>Member</i>	
6.	Higher Administrative Grade	1. Chairman/Member, Commission- <i>Chairman</i> 2. Finance Secretary/ Secretary, Economic Affairs- <i>Member</i> 3. Chief Economic Adviser- <i>Member</i>	
7.	Higher Administrative Grade+	1. Chairman/Member, Commission- <i>Chairman</i> 2. Finance Secretary/ Secretary, Economic Affairs- <i>Member</i> 3. Chief Economic Adviser- <i>Member</i>	